2011 का विधेयक सं. 26

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम सं. 1) की धारा 19 की उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला न्यायाधीश संवर्ग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 19 की उप-धारा (4) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा से इस रूप में तीन वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले किसी सदस्य की अपील किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है। किन्तु राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के प्रारंभ के पश्चात् 'राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा' शब्दावली का प्रयोग प्रचलन में नहीं रहा है तथा इसके स्थान पर 'जिला न्यायाधीश संवर्ग' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में संदर्भ को शुद्ध करने के लिए उक्त उप-धारा (4) को तदनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम सं. 1) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

19. अपील किराया अधिकरण, अपीलें और उनकी परिसीमा.- (1) से (3) XX XX XX XX

(4) कोई भी व्यक्ति अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होते हुए ऐसे सदस्य के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

(5) से (13) XX XX XX XX

XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 26 of 2011

THE RAJASTHAN RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Rent Control Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Rent Control (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force with effect from such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 1 of 2003.-In sub-section (4) of section 19 of the Rajasthan Rent Control Act, 2001(Act No. 1 of 2003), for the existing expression "the Rajasthan Higher Judicial Service", the expression "the District Judge cadre" shall be substituted.